B-444

PAG-2856
2/12/19

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाकःपं05(50)चिस्वा/2/10पार्ट जयपुर,दिनांकः 20-11-19

6494

डॉ0 बुद्धिप्रकाश जैन,
प्रमुख विशेषज्ञ (नेत्र),
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
भीम, राजसमंद।।

विषयः– स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2019 के क्रम में।

Accordingly
ATC

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना पत्र जिसके द्वारा दिनांक 30.11.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। अतः आमजन को चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराये जाने एवं चिकित्सकों के रिक्त पदो के दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक कारणों से आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

अतः आपको दिनांक 30.11.2019 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया जाना संभव नहीं है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1– निदेशक(जन स्वा),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 जैन को आज ही पत्र डिलीवर कर इस विभाग को अवगत करावें।
2– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 जैन को आज ही पत्र डिलीवर कर इस विभाग को अवगत करावें।
3– रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/बी–444/2019/ 1819 **दिनांक :** 11.12.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन–उदयपुर।

2 मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।

3 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीम,राजसमन्द।

4 डॉ. बुद्धिप्रकाश जैन, प्रमुख विशेषज्ञ (नैत्र) द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।

5 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

6 निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।